

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

कृपया अपने पत्र संख्या-659/43-2-2017 दिनांक 21.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु तहसील/उपखण्डीय स्तर पर सहायक जनसूचना अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त पत्र के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) में दिये गये प्राविधान के अनुसार तहसील स्तर पर सहायक जनसूचना अधिकारी को नामित किया जाता है, जो निम्नवत है:-

सम्बन्धित तहसील	नामित सहायक जनसूचना अधिकारी	सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र	
तहसील सदर	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम	कोतवाली नगर	
		थाना विजयनगर	
	क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय	थाना सिहानीगेट	
		थाना कविनगर	
		महिला थाना	
	क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय	थाना इन्दिरापुरम	
		थाना खोडा	
	क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ	थाना साहिबाबाद	
		थाना लिंकरोड	
	तहसील लोनी	क्षेत्राधिकारी लोनी	थाना लोनी
			थाना ट्रीनिका सिटी
			थाना लोनी बोर्डर
तहसील मोदीनगर	क्षेत्राधिकारी सदर	थाना मुरादनगर	
		थाना मसूरी	
	क्षेत्राधिकारी मोदीनगर	थाना मोदीनगर	
		थाना भोजपुर	
		थाना निवाडी	
	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाएँ	
	क्षेत्राधिकारी अभिसूचना	अभिसूचना शाखा	
	क्षेत्राधिकारी लाइन	रिजर्व पुलिस लाइन	
	क्षेत्राधिकारी यातायात	यातायात	
	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	समस्त एफएसओ	
	ए0आर0ओ0	आरआई-रेडियो	

पतांक :- 353/05 (1/11/21) -18

दिनांक :- जनवरी, 15 2018

जनसूचना अधिकारी(पुलिस)

जनपद गाजियाबाद।

प्रतिलिपि: प्रधान लिपिक, पुलिस कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि नामित सहायक जनसूचना अधिकारी का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

2. जिलाधिकारी, जनपद गाजियाबाद को उनके पत्र सं0 1529/प्र0अ0/आर0टी0आई0/विविध/2017 दिनांक 18.12.2017 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।